केवल आंतरिक वितरण हेतु

EduconnecT

NATIONAL COALITION FOR EDUCATION INDIA, NEWS BULLETIN

Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all'

अंक-4 जनवरी-दिसम्बर 2016

प्रिय साथियों,

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन का समाचारपत्र 'Educonnect' आपके समक्ष प्रस्तुत करने में बहुत गर्व की अनभूति हो रही है जैसाकि आपको विदित होगा कि वर्ष 2015 तक 'सभी के लिए शिक्षा' का वादा भारत वर्ष के लिए एक अधूरा सपना है। 'सतत विकास लक्ष्य 2030' जिसमें आगामी चौदह वर्षों के लिए गरीबी, समाप्त करने स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन एवं शिक्षा के अवसर एवं लिंग समानता सहित शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस वर्ष नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन को शिक्षा के अधिकार कानून के लिए पैरवी करते हुए पंद्रह वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे इस सफर के बहुत ही रोचक अनुभव है जिनको हम आपसे इस अभियान के हमसफर होने के नाते बांटना चाहते हैं। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन अपने इस प्रयास में निरंन्त प्रयासरत् है। एनसीई सतत विकास लक्ष्य 4 की नई प्रतिबद्धताओं की पैरवी हेतु शिक्षक संगठनों, नागर समाज, नीति निर्माता एवं अन्य हितभागियों के साथ प्रयासरत हैं।

शिक्षा 2030 के लक्ष्यों को साकार करने में हम आपके सहयोग एवं साझेदारी की अपेक्षा करते हैं। इस संस्करण में हम आपके समक्ष अपने विभिन्न प्रयासों एवं कार्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

पुनः नव वर्ष की शुभकामना के साथ

एनसीई टीम

भारत में शिक्षा की स्थिति-

भारत की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। देश के संविधान में संशोधन कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा एक मूलभूत अधिकार बनाया था जिसे आज सभी 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के नाम से जानते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून का कार्यान्वयन मंदगति से हो रहा है और सभी बच्चे अभी तक विद्यालयों की पहुंच से दूर है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर करीब 3.45 करोड़ बच्चे अभी तक विद्यालय में नामांकित नहीं है।

सभी के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लिंग समानता एवं न्यायोचित शिक्षा के अधिकार की उत्पत्ति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समूहों विशेषकर मुस्लिम का शैक्षिक विकास कर इन्हें 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। यद्यपि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के सरकारी विद्यालयों में नामांकन दर (विशेषकर बालिकाओं की) गिरती जा रही है।

प्रारंभिक शिक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, परन्तु धीरे-धीरे यह व्यवस्था मुनाफे के लिए निजी हाथों में जा रही है। हमारा यह भी मानना है कि विभिन्न प्रकार के समाज के एक अभिजात्य समूह की विद्यालयी शिक्षा अधिकाधिक अवसर प्रदान कर समाज को संसाधन बहुल एवं संसाधनहीन समूह में बांटने का काम कर रही है। समान अवसर का सिद्धान्त सार्वभौमिक अधिकार है जिसमें से अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते भारत पर भी लागू होते हैं और यह सिर्फ वयस्कों, राजनीतिक या व्यापारिक समूहों पर लागू ही नहीं होते है, बल्कि सभी को समान अवसर दिलाने का प्रयास भी करते हैं।

विषय-सूची

राष्ट्रस्तरीय कार्यक्रम..... 12-13
अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय कार्यशाला..... 14-15
राज्य स्तरीय गतिविधियां..... 15-16
जिला स्तरीय गतिविधियां..... 17
शोध..... 18
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी..... 19
ही नेम्ड मी मलाला फिल्म कैंपेन..... 19
अतिथि लेख..... 20

राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम

ग्लोबल एक्शन वीक-2016

एनसीई द्वारा 24 से 30 अप्रैल 2016 को शिक्षा के लिए देश के 21 राज्यों में 'Fund the Future' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा 2030 एजेंडा' के कार्यान्वयन हेतु सरकारों एवं नीति निर्धारकों की प्रतिबद्धता एवं संसाधनों को सुनिश्चित करना साथ ही राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय शपथ/सहमति के अनुसार परिणाम, मापनीय पद्धति एवं प्रणाली को समान रूप से उपलब्ध कराने हेतु पैरवी करना था।

यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंश्चिम बंगाल राज्यों में शिक्षक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे हस्ताक्षर अभियान, पोस्टकार्ड अभियान, वाद विवाद प्रतियोगिता रैली एवं बैठकों का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही घर-घर जाकर जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों नागर समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता एवं संवाद इत्यादि भी शामिल हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा 2030 के उद्देश्यों को पूरा करने एवं उसके लिए उचित वित्तीय प्रबंधन को लेकर सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को एक मांगपत्र सौंपा गया।

ग्लोबल एक्शन वीक 2016-समापन समारोह

राज्यो में ग्लोबल एक्शन वीक आयोजित करने के बाद दिनांक 30 अप्रैल 2016 को इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में इस सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजूकेशन के सानिध्य में यूनेस्को, सीबीएम और केयर इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AIPTF के अध्यक्ष एवं एनसीई के महासचिव श्री रामपाल सिंह ने कहा कि ''यह प्रयोजन इस कार्यक्रम का अन्त नहीं बल्कि शिक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान का आरंभ है।'' उक्त कार्यक्रम में AISTF के महासचिव श्री इन्द्रशेखर मिश्रा, AIFTO के अध्यक्ष श्री धर्मविजय पंडित भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षक संगठनों एवं नागर समाज संगठनों ने ग्लोबल एक्शन वीक के दौरान के अपने अनुभवों को बांटा। इस कार्यक्रम में एनसीई के तीन प्रकाशनों "Status of DIETs in India", Status and Financing of "Education for All" in post RTE era और "Status Report on Closure of Schools after RtE Act 2009" का विमोचन माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी एवं श्री उदित राज जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 15 राज्यों के लगभग 150 प्रतिभागियों ने भागीदारी निभाई जिसमें मीडिया, जनप्रतिनिधि, नागर समाज संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन, शिक्षा संगठन, शिक्षाविद् एवं SCERT के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

''शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य 4'' विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा एवं 2015 के पश्चात 'सबके लिए शिक्षा' पर कार्यशाला

'शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य-4' बालिकाओं की शिक्षा एवं 2015 के पश्चात 'सबके लिए शिक्षा' विषय पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला दिनांक 11 दिसंबर 2016 को इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में ''शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य 4'' तथा वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा के अधूरे लक्ष्यों, माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क हेतु शिक्षा बजट में वृद्धि, विभिन्न सहयोगियों की सहायता एवं सहमति से भविष्य के लिए एक कार्ययोजना तैयार करना इत्यादि विषयों पर इस

कार्यशाला में परिचर्चा हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्याम जाजू, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ''सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 को सही मायनों में कार्यान्वित करने के लिए कठोर प्रयास कर रही है और जो लक्ष्य तय सीमा के लिए निर्धारित किए गए हैं उन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है और सभी को गुणवेत्तक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।'' इस कार्यशाला में यूनेस्को, प्रिया नई दिल्ली एवं न्यूपा के प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति के रूप में शामिल थे। उक्त कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 120 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सभी प्रतिभागियों ने बुनियादी शिक्षा संबंधी मांगों को एनसीई के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया जोकि प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है।

सतत विकास लक्ष्य पर क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला

एनसीई एवं ASPBAE के सहयोग से नई दिल्ली में तीन दिवसीय क्षमतावृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एनसीई के स्टाफ एवं उसके सहयोगी संगठनों (नागर समाज संगठन, शिक्षक संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन) के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस कार्यशाला में सतत् विकास के लिए शिक्षा दशक 2005-2014 एवं सतत विकास लक्ष्य 4 पर गहन चिंतन किया गया।

इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों से 55 प्रतिभागियों ने भागीदारी की जिसमें शिक्षक संगठन एवं गैर सरकारी संस्थाए शामिल थे। इसमें कुछ मुख्य मुद्दे जैसे सतत विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण, राजनीति, जलवायु परिवर्तन पर योजनाओं का क्रियान्वयन एवं शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ने आदि मुद्दों पर चर्चा हुए। इन मुद्दों पर कार्य हेतु कार्यशाला के अन्त में प्रतिभागियों द्वारा व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर एक आगामी योजना भी तैयार की गई।

शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य 4 पर एक दिवसीय कार्यशाला

''शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य 4 तथा सबके लिए शिक्षा के अपूर्ण लक्ष्य'' पर जवाहर लाल नेहरूविश्व विद्यालय के सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 28 दिसम्बर 2016 को आयोजित इस कार्यशाला में 90 प्रतिभागियों, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र तथा प्रोफेसर, नागर समाज के प्रतिनिधि, आईआईटी दिल्ली के प्रो0 वीके त्रिपाठी, आईएईए दिल्ली के प्रो0 मोहन कुमार, सीबीजीए की सुश्री प्रोतिवा कुन्डू एवं तीनों शिक्षक संगठनों (AIPTF, AIFTO AISTF) के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यशाला में बोलते हुए कहा कि ''शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है, इसमें अनुदान की कोई कमी नहीं है, परन्तु इस पर अच्छे से खर्च करने की कोई सही प्रक्रिया नहीं है जिससे हम इस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं।'' उन्होंने आश्वासन दिया कि यहां हो रही चर्चा के उपरान्त एक प्रतिनिध मंडल उनकी अगुवाई में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर से शीघ्र मुलाकात करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन-

ASPBAE तथा TISS मुम्बई के संयुक्त तत्वाधान में 27 एवं 28 जून 2016 को 'सतत विकास लक्ष्य 4' पर दो दिवसीय कार्यशाला का मुम्बई में आयोजन किया गया। इसमें एनसीई के संयोजक श्री रमा कान्त राय एवं कार्यकारी निदेशक श्री विजय आनन्द वर्मा तथा मुम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय के राज्य अभियान एवं शोध समन्वयक श्री विनोद रमेश सात्वे ने भी भागीदारी की। इस कार्यशाला में भारत में सतत विकास लक्ष्य 4 पर कार्य करने की कार्ययोजना बनाई गई।

अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय कार्यशाला

पश्चिमी क्षेत्र

एनसीई तथा राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 29 मार्च 2016 को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जयपुर, राजस्थान के सभागार भवन में एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन में कमी और शिक्षा 2030 एवं सतत् विकास लक्ष्य 4 को साकार करने में भारत अभी बहुत पीछे क्यों है इस पर परिचर्चा की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्री विश्नुदास स्वामी जोकि मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, ने किया। इसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हिमांचल प्रदेष्ठा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 90 प्रतिभागियों जिसमें शिक्षक संगठन, नागर समाज संगठन, सरकारी अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन आदि ने भागीदारी की।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

एनसीई और असम राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 'शिक्षा 2030 एवं सतत् विकास लक्ष्य 4' पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में

दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 25 एवं 26 जुलाई 2016 को शिक्षक भवन, गुवाहाटी, असम में किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को शिक्षा 2030 एवं सतत् विकास लक्ष्य 4 के विस्तार एवं लक्ष्य के बारे में समझ विकसित करना था एवं स्थानीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अगले छः माह में योजना विकसित करना था। उक्त कार्यशाला में मेघालय, अरूणांचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के शिक्षक संगठनों तथा नागर समाज संगठनों के अतिरिक्त सरकारी अधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों सहित्य 55 प्रतिभागी उपस्थित थे।

दक्षिणी क्षेत्र

केरल सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रवीन्द्रनाथ की उपस्थिति में सतत विकास लक्ष्य 4 एवं शिक्षा 2030 पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जुबिली मेमोरियल एनिमेशन सेनटर, तिरूवननतपुरम में किया गया। कार्यशाला में बोलते हुए श्री रवीन्द्र जी ने कहा कि ''दक्षिण भारत में शिक्षा 2030 और सतत विकास लक्ष्य 4 पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।'' साथ उन्होंने एनसीई, केरल प्राथमिक शिक्ष संघ और वर्ल्ड विजन के द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला के आयोजन की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि केरल की साक्षरता दर 100 प्रतिशत है फिर भी हम शिक्षा 2030 के एजेन्डे से अभी दूर है। उन्होंने यह वादा किया कि शिक्षा 2030 एवं सतत विकास लक्ष्य 4 के लक्ष्यों को बखूबी पूरा करने के लिए वह स्वयं उसे व्यक्गित रूप से देखेंगे। इस कार्यशाला में 62 प्रतिभागियों ने भागीदारी की जोकि आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि से नागर समाज संगठन, शिक्षक संगठन, सरकार के प्रतिनिधि थे। कार्यशाला के अन्त में शिक्षा मंत्री को सभी प्रतिभागियों के द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया।

राज्य स्तरीय गतिविधियां

शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण पर एक बैठक

भारत में शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण की चुनौतियों के बारे में एक रिपोर्ट विकसित करने के लिए एक परामर्श बैठक दिनांक 11 अगस्त 2016 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह सहमति हुई कि शिक्षा की स्थिति व निजीकरण की चुनौतियों जैसे विद्यालयों की स्थिति, विद्यालय से बाहर बच्चे, कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चे, युवाओं एवं वयस्कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अवलोकन होना चाहिए। इस बैठक में वर्ल्ड विजन, सेव द चिल्ड्रेन, निरन्तर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ, सामाजिक बदलाव ट्रस्ट, बाल विकास धारा एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन को रिपोर्ट तैयार करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की बात की। रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह कार्य विभाजन संस्था के कार्यक्षेत्र के अनुभवों के आधार पर जैसे सेव द चिल्ड्रेन ने स्कूल बन्द होने की जानकारी, निरन्तर ने लिंग संबंधी जानकारी, BWI ने अस्थायी श्रमिकों, शिक्षक संगठनों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का सबूत प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन करना स्वीकार किया। यह रिपोर्ट आज की तारीख में तैयार हो गई है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्तुत कर दी गई है।

दिल्ली में परामर्श सम्मेलन

शिक्षा के अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में असमानताओं पर परिचर्चा के उद्देश्य से 8 सितम्बर 2016 को एक दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन शिक्षक भवन, नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला में बोलते हुए AIPTF के अध्यक्ष श्री रामपाल सिह ने कहा कि ''नई शिक्षा नीति समानतापूर्ण और समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए आजीवन सीखने की प्रक्रिया के बारे में कोई बात नहीं करती है, न ही सतत् विकास लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी धनराशि के आवंटन की बात नहीं करती है। हमें इस गम्भीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।'' इस परामर्श बैठक में गैर सरकारी संगठनों जैसे निरन्तर, टाटा ट्रस्ट, सामाजिक बदलाव ट्रस्ट, प्रयास, विकास फाउन्डेशन एवं शिक्षक संगठनों सहित 52 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

उड़ीसा परामर्श बैठक

एनसीई एवं वर्ल्ड विजन के सहयोग से शिक्षा के अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में असमानताओं पर एक दिवसीय परामर्श बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2016 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि बच्चों के मौलिक अधिकार और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रतिपालन किया जाएगा। नागर समाज संगठनों एवं शिक्षक संगठनों द्वारा यह तय किया गया कि शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करने वालों का अनुश्रवण एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भविष्य के लिए योजना बनाने में सभी सहयोगी संगठन अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में उड़ीसा सरकार के सहायक निदेशक श्री दीपक रे ने बताया कि ''उड़ीसा सरकार द्वारा स्कूल छात्र सहायता लाइन 18003457622 शुरू की है जिस पर इस अधिकार का उल्लंघन करने वालो की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्य सरकार ने अपनी वेबसाइट भी शुरू की है जो इस संबंध में सभी शिकायतों का समाधान एवं जानकारी प्रदान करती है।'' इस कार्यक्रम में 90 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर परामर्श बैठक

भारत सरकार द्वारा प्रसतावित नई शिक्षा नीति की सिफारिशों पर विचार विमर्श के लिए 7 सितम्बर 2016 को शिक्षक भवन नई दिल्ली में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षक संगठनों के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों से लगभग 24 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें सुश्री सुष्मिता चौधरी, पूजा पार्वती, प्रो0 पूनम बत्रा, प्रो0 अनीता रामपाल एवं प्रो0 अजय कुमार आदि संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित थे। उक्त बैठक में यह तय हुआ कि नई शिक्षा नीति पर हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा।

तमिलनाडु में परामर्श बैठक

शिक्षा के अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन एवं प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में असमानताओं पर विचार विमर्श के लिए एक दिवसीय बैठक दिनांक 29 सितम्बर 2016 को चेन्नई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीई एवं वर्ल्ड विजन के सहयोग से किया गया। प्रतिभागियों ने निम्न स्तर के बुनियादी ढांचे, स्कूल छोड़ने वाले, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की जरूरतों के लिए नकारात्मक रूख, भाषा की बाधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में कमी के बारे में अपनी चिंताए साझा की। इस कार्यक्रम में यह अनुसंशा सर्वसहमति से पारित की गई कि विद्यालयों को समावेशी परिवेश में कार्य करने के लिए शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जाय एवं पाठ्यक्रम लचीला हो, योग्य शिक्षकों का उन्नयन आदि विकसित होना चाहिए, प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए शिक्षा स्वतंत्र न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिससे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में प्रासंगिकता हो और सीखने के परिणाम प्रभावी मिले।

उत्तर प्रदेश

परामर्श बैठकों की श्रृंखला में एनसीई द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शिक्षा 2030 एजेंडा एवं सतत् विकास लक्ष्य-4 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला काशी विद्यापीठ के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य 4 के बारे में छात्रों का संवेदीकरण करना और इस कार्य में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित कर एक ठोस कार्ययोजना विकसित करना था। इस कार्यक्रम में काशी विद्यापीठ के शिक्षा विभाग के प्रमुख श्री गोपालदास नायक, श्रीमती मधु कुशवाहा, एवं पो0 शैलेन्द कुमार के अलावा शिक्षा विभाग के छात्र एवं स्वयं सेवी संगठनों के 80 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

दिल्ली

सतत् विकास लक्ष्य 4 पर आधारित बैठक- ''सतत विकास लक्ष्य 4 के कार्यान्वयन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का सरकार प्रयास कर रही है। इसमें क्या समस्याएं हैं और उनका हल बताने में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए।'' उक्त उद्बोधान सी0बी0एस0सी0 की संयुक्त निदेशक सुश्री मोनिका कपूर ने 23 दिसम्बर 2016 को आयोजित एक दिवसीय परामर्श बैठक में प्रकट किए। इस कार्यशाला का आयोजन एनसीई द्वारा फेयर फील्ड मैनेजमेनट इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलोजी के साथ मिलकर किया गया। इसमें 150 छात्रों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम FIMT के निदेशक डा0 संजय सिंह भी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय गतिविधियां-

भीलवाड़ा राजस्थान में जनसुनवाई कार्यक्रम

हक एवं समता की एक रिपोर्ट के मुताबिक ''खनन प्रभावित क्षेत्रों की साक्षरता दर राष्ट्र की औसत साक्षरता दर से कम होती है।'' चूंकि भलवाड़ा खनन प्रभावित क्षेत्र है इसलिए इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए इस क्षेत्र में शिक्षा अधिकार कानून के कार्यान्वयन की स्थिति एवं बालिका शिक्षा के मुद्दे पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन और बाल कल्याण एवं शोध संस्थान के सहयोग से जिला भीलवाड़ा राजस्थान के बिजौलिया विकासखंड में दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को आयोजित की गई।

उक्त सुनवाई के आयोजन से पूर्व इस क्षेत्र के 10 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का एक सर्वेक्षण कर शिक्षा अधिकार की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का किसी भी विद्यालय में पूर्णरूपेण पालन नहीं हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित नहीं किया गया है जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, स्कूल से बाहर बच्चों को लेकर ग्राम स्तर पर कोई बैठक या सर्वेक्षण नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दों एवं समस्याओं को जनसुनवाई के दौरान ज्यूरी सदस्यों के सामने रखा गया। ज्यूरी सदस्यों में सरकार के स्थानीय प्रतिनिधि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। समस्याओं लेकर ज्यूरी ने निर्देश दिए कि इन समस्याओं को संबंधित विभाग द्वारा जल्द से जल्द हल किया जाय। इस जनसुनवाई में समुदाय के प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, मीडिया, अभिभावक, बच्चे एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे।

सीहोर, मध्य प्रदेश में जनसुनवाई

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दिनांक 29 दिसम्बर 2016 को एक जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यह जनसुनवाई शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की जमीनी हकीकत को देखने के उद्देश्य से भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मध्य प्रदश के सहयोग से आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में जिला पंचायत के चेयरमैन एवं जिला शिक्षा समिति के मुखिया श्री मोहनलाल, जबलपुर उच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री डोमा भूटिया, सर्वशिक्षा अभियान जिला सीहोर के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री सी0 बी0 तिवारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति थे। उक्त जनसुनवाई में कुल 43 शिकायतें आईं जोकि स्कूल के ढांचे, शिक्षकों की कमी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री का अभाव, विद्यालय प्रबंधन समिति का अप्रशिक्षित होना आदि थीं। इन शिकायतों पर संबंधित ज्यूरी सदस्यों द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए गए।

विद्यालय प्रबंधन समितियों का क्षमता निर्माण

अक्टूबर से दिसम्बर 2016 के बीच में भारत के 5 राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मदद, उन्नति संस्थान, भारत उदय एजूकेशन सोसायटी, दुद्धी ग्राम विकास समिति एवं वर्ल्ड विजन इन्डिया के सहयोग से बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, एवं उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए। सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा समिति के सदस्यों को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानकारी एवं उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराने साथ विद्यालय विकास योजना निर्माण पर प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया। इसमें दृश्य, श्रव्य, चित्र विथिका, खेल पद्धति एवं अन्य रोचक गतिविधियो का प्रयोग किया गया जिससे वे बेहतर तरीके से सीख सकें।

वीडियो डॉक्यूमेन्ट्री

हाशिए पर रहने वाले, कभी स्कूल न जाने वाले एवं स्कूल छोड़कर काम में लगे बच्चों से संबंधित एनसीई द्वारा 20 मिनट की अवधि का एक वृत्तचित्र (Documentry) तैयार किया गया है। इस वत्तचित्र में नीति निर्धारकों, सांसदों एवं उन व्यक्तियों की राय भी प्रमाण के तौर पर शामिल है जोकि इस कानून को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा अधिकार कानून के उचित क्रियान्वयन की पैरवी के लिए इस वत्त चित्र की स्क्रीनिंग अलग-अलग मंचों पर की जाएगी।

U-DISE आंकड़ों का विश्लेषण

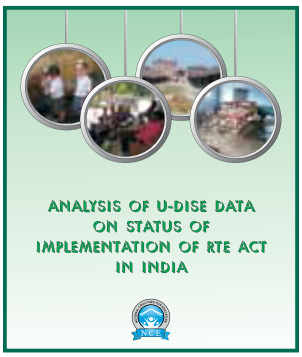

भारत में शैक्षिक आंकड़ों में वर्तमान में किए गए सुधारों के बावजूद इन आंकड़ों में एक गंभीर कमी है। ऐसा मानना है कि डाइस (District Information System for Education (DISE) मूलभूत आंकडों का सत्यापन, संगतता एवं 5 प्रतिशत नमूनों की जांच जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं का पालन करता है परंतु अपने अंतिम रूप में जो जनता के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी गुणवत्ता में अभी भी समस्याएं हैं। अत: शिक्षा के अधिकार कानून से संबंधित आंकड़ों की मान्यता एवं सत्यता जांचने के लिए नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन द्वारा एक शोध किया गया है। यह अध्ययन भारत के पांच राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हिमांचल प्रदेश में किया गया था। डाइस आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर विद्यालयों में पानी, शौचालय और पुस्तकालयों की सुविधा है परन्तु शोध में यह पाया गया कि यह कार्यात्मक नहीं है। यह शोध आंकड़ों के संग्रह एवं आंकलन की गुणवत्ता के विषय में प्रश्न उठाता है। निष्पक्ष एवं विश्वसनीय आंकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान देने की और गंभीर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस शोध की अनुसंशाएं एवं निष्कर्ष भविष्य में कार्ययोजना बनाने में मददगार होंगी।

अधिकार कानून के वित्तपोषण की स्थिति

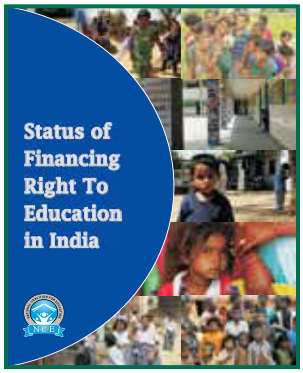

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बाद यह अपेक्षित था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उचित क्रियान्वयन हेतु सुनिश्चित करने के लिए सक्षम नीतियों को अपनाने की कोशिश करेंगे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित हों क्योंकि दशकों से इस क्षेत्र में अपर्याप्त साधन उपलब्ध होने के कारण आज भी शिक्षा की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वर्तमान अध्ययन द्वारा भारत के सात राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धनराशि के आवंट और खर्च का विश्लेषण करने का प्रयास है। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर होते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में धनराशि का आवंटन तय किए गए वादों के आसपास भी नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा को कम प्राथमिकता और एक ठहराव की स्थिति पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न करा पाने के मुख्य कारण है।

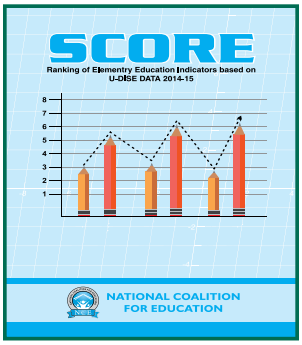

स्कोर–2014-15

बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के कार्यावयन प्रगति की गणना करने के लिए नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन द्वारा SCORE का प्रकाशन किया जाता है। इसे District Information System for Education (DISE) के आंकड़ों के आधार पर तैयार करते हैं। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकशन द्वारा इसे शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों में वर्णित बुनियादी ढांचे, शिक्षक, स्कूल प्रदर्शन और विद्यालय स्तरीय परिणाम के आधार पर राज्यों की प्रदर्शन स्थिति को देखते हुए सर्वोत्तम, मध्यम और खराब प्रदर्शन वाले राज्य की श्रेणी में बांटता है जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों में शिक्षा की दशा का आंकलन और पैरवी की जा सके।

मलाला कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अध्ययन

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के द्वारा बिहार, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक शोध किया गया। इस शोध का उद्देश्य बालिका शिक्षा को लेकर विद्यालयों कितने तैयार है इस पर बालिकाओं के अनुभवों का संकलन करना था। इस शोध में 32 बालिकाओं के साथ चर्चा की गई। जिसमें ज्यादातर बालिकाओं ने कहा कि स्कूल में पृथक रूप से शौचालय न होने या होने पर भी उपयोग योग्य न होना, विद्यालय में महिला शिक्षिका की कमी, नैपकिन की अनुपलब्धता और माहवारी जैसे विषय पर कोई जानकारी न होने के कारण माहवारी के दौरान उन्हें विद्यालय में बहुत ही असुरक्षा महसूस होती है। इस शोध में एक और घटक सामने आया कि विद्यालय में महिला सलाहकार (जोकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर विद्यालय में अनिवार्य है) न हो पाने के कारण बालिकाएं घर से स्कूल के बीच में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को भी किसी से कह नहीं पाती हैं जोकि उनके स्कूल छोड़ देने या अनियमित होने का एक कारण है। इस शोध से निकले परिणामों के संक्षेप में निराकरण यह थे कि स्कूल में जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण, सुरक्षा उपायों, बालिकाओं के लिए महिला सलाहकार, माहवारी पर जागरूकता कार्यशाला एवं मासिक अभिभावक बैठकों पर जोर देने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

शिक्षा वित्तपोषण और निजीकरण को लेकर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला

ASPBAE, ESCR पर ग्लोबल इनीसिएटिव, Open Society Foundation, और Right to Education project के संयुक्त तत्वाधान में थाईलैंण्ड की राजधानी बैंकाक में शिक्षा वित्तपोषण और निजीकरण को लेकर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भारत से नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के संयोजक श्री रमाकान्त राय एवं राष्ट्रीय शोध एवं दस्तावेजीकरण समन्वयक सुश्री प्रिया भकत द्वारा भागीदारी की गई। उक्त कार्यशाला में सहयोगी सदस्यों, मानव अधिकार नेटवर्क, विकास पर कार्य करने वाले नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के साथ शिक्षा में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु मूल्यांकन की संभावित प्रामाणिक रूपरेखा पर चर्चा की। यह कार्यक्रम 29 अगस्त से 31 अगस्त 2016 तक आयोजित किया गया।

सतत विकास लक्ष्य 4 एवं युवा और प्रोढ़ शिक्षा पर नीति आधारित मंच

नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन के संयोजक श्री रमा कान्त राय, शिक्षक संगठनों के अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष श्री धर्म विजय पंडित एवं नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन की कार्यकारी निदेशक सुश्री बेला दास द्वारा बैंकाक, थाईलैंण्ड में आयोजित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला में भागीदारी की गई। यह कार्यशाला शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर चर्चा एवं रणनीति नियोजन हेतु आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला 22 से 25 नवम्बर 2016 तक चली।

''ही नेम्ड मी मलाला फिल्म कैंपेन''

बदलाव से बदलती जिंदगियां.....

'एक बच्चा, एक अध्यापक, एक पुस्तक तथा एक कलम, विश्व बदलने की शक्ति रखता है, ... मलाला युसुफजई

नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन 'ही नेम्ड मी मलाला फिल्म कैंपेन' के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने, उन्हें लीडरशिप प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति निर्धारकों, अध्यापकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, मीडिया तथा माता-पिता के साथ मिलकर कर रहा है। यह कार्यक्रम तीन राज्यों के छः जिलों क्रमशः बिहार के बक्सर एवं समस्तीपुर, राजस्थान के उदयपुर एवं अलवर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एवं मेरठ में सफलतापूर्वक चलाया गया।

उपरोक्त उद्देश्यों की अंतर्गत साल 2016 में ग्राम, जिले, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां, नामांकन अभियान तथा प्रशिक्षण आयोजित किये गए। इस अभियान की कुछ उपलब्धियां बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है जिसमें 500 बालिकाओं तथा विद्यालय प्रबंध समितियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा प्रशिक्षण से प्रभावित होकर 1000 से अधिक बालक-बालिकाओं ने विद्यालय जाना आरम्भ कर किया। बालिकाओं ने माननीय श्री रवि प्रकाश वर्मा, सांसद को मांग पत्र सौपा जिसमें कक्षा 12 तक की शिक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुफ्त करने, शिक्षा बजट छः प्रतिशत तक बढ़ाने, बालिकाओं की सुरक्षा, Child Labour (Prohibition and Regulation), Act में किये गए बदलाव जोकि बच्चों को पारिवारिक व्यापार में कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, को निरस्त करने सम्बन्धी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था।

वकील अहमद, सदस्य, एसएमसी, मेरठ, उ०प्र०

मुझे नहीं मालूम था कि एसएमसी को क्या करना चाहिए। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकशन के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बाद मैने अपने गांवों की लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान देना शुरू किया। प्रबंधन समिति का सक्रिय सदस्य होने के नाते मैं समुदाय के लोगों को लड़कियों की जिंदगी बेहतर बनाने के इस प्रयास में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मेरे साथ-साथ समुदाय के लोगों ने भी मेरी मदद की उनके सहयोग से मैने 16 लड़कियों का नामांकन स्कूल में कराया है। हमारे प्रयास से हमारे स्कूल की लड़कियों को खेलने के लिए सामान मिलां है। उन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया गया है। आज मैं बहुत खुश महसूस करता हूं कि मेरी जिंदगी इन बच्चों के काम आ रही है।

संजीदा, बालिका अगुआ, अलवर, राजस्थान

मेरा समाज लड़कियों को 8वीं से ज्यादा शिक्षा देने पर विश्वास नहीं करता। मेरे माता-पिता के दबाव के कारण मैं आठवीं में फेल हो गई। मलाला अभियान ने मुझे फिर से आत्मविश्वास दिया और मेरी जिंदगी बदल दी। इस अभियान में होने वाली कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के द्वारा हमें शिक्षा के महत्व के बारे में अच्छी तरह से पता चला। मैंने स्वयं को पहचाना और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला लिया। आज मेरे माता पिता मुझे बहुत सहयोग करते हैं। मुझे फिर से रोशनी दिखाने के लिए एनसीई का शुक्रिया।

अतिथि लेख

हम सहस्त्राब्दि लक्ष्यों से सतत् विकास लक्ष्यों तक का लम्बा रास्ता तय कर चुके हैं। यह कहना कि हमने कुछ भी नहीं हासिल किया है, कम बयानी (न्यूनोक्ति) होगी। वर्ष 2000 से 2015 के बीच की अवधि में कुछ महत्वपूर्ण पहल हुई है जैसे सबके लिए शिक्षा, शिक्षा से संबंधित सहस्त्राब्दि लक्ष्य इत्यादि जिन्होंने सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं राष्ट्रीय चुनौतियों को संबोधित करते हुए डकार फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। सभी हितधारकों ने सार्थक एवं सर्वश्रेष्ठ प्रयासों द्वारा अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। प्रयासों की गति सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुई है परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन प्रयासों ने 2015 के पश्चात शिक्षा के परिदृश्य को एक नई दिशा प्रदान की है। इन प्रयासों से यह स्पष्ट हो गया है कि मात्र शिक्षा की पहुंच का एक ऐसा अधपका केक है जिसको खाना और रखना दोनों ही मुश्किल हैं। शिक्षा जब तक वास्तविक दृष्टिकोण, विकास व समावेशी न हो और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने में सक्षम न हो, तब तक शिक्षा संपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है और नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकशन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी टिप्पणियों में यह सारे मुद्दे बहुत ही प्रभावी रूप से व्यक्त किए हैं। अत: अधूरे रह गए मसौदे को हमें उत्साह एवं पूरे जोश से आगे ले जाने का कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। सतत् विकास लक्ष्यों ने समावेशिता को सुनिश्चित करना एवं समान एवं न्यायसंगत गुणवेत्तक शिक्षा प्रणाली को ऐसे विकसित किया जाए कि जीवनपर्यन्त सीखने की प्रक्रिया एक वास्तविकता बन सके।

यह एक आसान लक्ष्य नहीं है। यह एक विशाल प्रयास है और इसमें सभी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों, नागर समाज संगठनों गैर सरकारी संगठनों आदि के तालमेल और संयोजन की आवश्यकता है। अत: नागर समाज एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सतत विकास लक्ष्य का एक उद्देश्य शिक्षा में लिंग असमानताओं को दूर करना और शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सभी व्यक्तियों जिसमें विकलांग, जनजातीय और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी आधार पर बहिस्कृत एवं विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कराना एवं जमीनी स्तर तक शिक्षा पहुंचाने में हो रही असमानताओं को दूर किए जाने का प्रयास करना है ताकि कोई पीछे न छूट जाए। अंतत: जमीनी स्तर पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं धरातलीय स्तर के दृष्टिकोण से ही सभी को गुणवेत्तक शिक्षा प्रदान की जानी संभव हो सकती है।

यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन भारत में इस लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदम जैसे जीवनपर्यन्त सीखने का अवसर, साझेदारी, सहयोग एवं समुदाय में जागरूकता पैदा कर सभी के लिए गुणवेत्तक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है।

प्रो० मोन्दिरा दत्ता
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संपादक मंडल:- श्री रमाकान्त राय, सुश्री प्रिया भकत, श्री अमित कुमार, श्री सोनू हरि एवं सुश्री अर्चना

NATIONAL COALITION FOR EDUCATION
'Shikshak Bhawan', 41-Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058
Ph.: + 91 11 28526851 | **Website:** www.nceindia.org | **Email:** info@nceindia.org
Facebook: facebook.com/nceindia | **Twitter:** twitter.com/nceindia | **Blog:** ncedelhi.blogspot.com

All India Federation of Teachers Organisatio | AISTF All India Secondary Teachers' Federation | PCCSS Peoples Campaign for Common | World Vision